निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 217/2020 तारीख दायरा 19.11.2020

उनवान

1. अमरलाल आयु 58 वर्ष पुत्र छीत्या उर्फ घांसी लाल जाति कुम्हार निवासी बूढ़नी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी वार्ड नं. 9 गायत्री नगर अटरू तहसील अटरू जिला बांरा।
2. गंगाराम आयु 46 वर्ष पुत्र छीत्या उर्फ घांसी लाल जाति कुम्हार निवासी बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
3. धनराज आयु 55 वर्ष पुत्र छीत्या उर्फ घांसी लाल जाति कुम्हार निवासी बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
4. रतनलाल उर्फ रामरतन आयु 54 वर्ष पुत्र छीत्या उर्फ घांसी लाल जाति कुम्हार निवासी बूढनी तह.सांगोद जिला कोटा हाल नि. जलवाडा तह.किशनगंज जिला बांरा।
5. लक्ष्मण आयु 48 वर्ष पुत्र छीत्या उर्फ घांसी लाल जाति कुम्हार निवासी बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
6. गीताबाई आयु 50 वर्ष पुत्री छीत्या उर्फ घांसी लाल पत्नि हंसराज जाति कुम्हार निवासी बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा।

–वादी

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी) दिनॉक :– 18.02.2021

श्री सरकार पैरोकार

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण ने अपने खाते एवम् कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लोलाहेडी पटवार हलका उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
2	2	242	0.85 है.
		243	0.28 है.

कुल किता 2 की 1.13 हैक्टर आराजी स्थित हे ।

वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम अधिकार अभिलेख खाते में छीत्या दर्ज है तथा वादी नं.4 का नाम रतनलाल दर्ज है। वादी नं.4 का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड में रामरतन पुत्र घांसीलाल जाति कुम्हार दर्ज है, वादी नं.4 के ही दो नाम रामरतन उर्फ रतनलाल है। वादीनं.4 दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। वादीगण के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है। वादीगण के पिता का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड मे घांसीलाल दर्ज है।

वादीगण ने अपने खाते की वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में से खसरा नं.242 की 0.85 है. में से 0.32 है., खसरा नं.243 की 0.28 है. में से 0.16 है. कुल किता 2 की 0.48 हैक्टर आराजी को अनिता बाई पत्नि बलराम जाति कुम्हार निवासी बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा को तथा खसरा नं.242 की 0.85 है. में से 0.53 है. खसरा नं.243 की 0.28 है. में से 0.12 है. कुल किता 2 की 0.65 हैक्टर आराजी को संजय कुमार पोटर पुत्र बद्रीलाल जाति कुम्हार निवासी बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी वार्ड 3 बाबजी नगर बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राज को विक्रय कर दी है, विक्रय विलेख पंजीयन का पंजीयन करवाने उपपंजीयन सांगोद के कार्यालय में गये तो उन्होंने खाते व आधार कार्ड में एक नाम करवाने की कही और बिना पंजीयन किये ही लोटा दिया इस कारण से वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह खाते में वादी नं.4 और वादीगण के पिता का नाम खाते में व आधारकार्ड में एक ही करवावे इस कारण से वादीगण के लिए आवश्यक होने पर वादी पटवारी हलका के पास गया उनके द्वारा वादी का नाम सही नहीं करने पर वादी प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी द्वारा भी वादी का नाम सही नहीं किया। इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि खाते में वादी नं.4 का व वादीगण के पिता का नाम सही करवा कर विक्रय विलेख का पंजीयन केतागण के पक्ष में पंजीयन करवावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested

आराजी में वादी नं. 4 का नाम रतनलाल पुत्र छीत्या के स्थान पर रामरतन पुत्र घांसीलाल जाति कुम्हार दर्ज करने साथ ही सभी वादीगण के पिता का नाम छीत्या के स्थान पर घांसीलाल दर्ज करने की घोषणा कर वादी का नाम व पिता का नाम आधार कार्ड अनुसार सही करके खातेदार काश्तकार घोषित करने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाद देही का अवसर दिया गया प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। वादी अधिवक्ता की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादी के हक में वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम लोलाहेडी पटवार हलका उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजी खाता सख्या नई 2 पुरानी 2 की खसरा नं.242 की 0.85 है. व खसरा नं.243 की 0.28 है. कुल किता 2 की 1.13 हैक्टर आराजी में वादी नं. 4 का नाम रतनलाल पुत्र छीत्या के स्थान पर रामरतन पुत्र घांसीलाल जाति कुम्हार दर्ज करने साथ ही सभी वादीगण के पिता का नाम छीत्या के स्थान पर घांसीलाल दर्ज करने की घोषणा कर वादी का नाम व पिता का नाम आधार कार्ड अनुसार सही करके खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।